

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक प. 7(1)कार्मिक/क-2/2017


जयपुर, दिनांक ०४.०३.१९

आदेश

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीनसेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण)(संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानान्तर्गत राज्य के अधीन सेवाओं और पदों में 5 प्रतिशत आरक्षण की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग को राज्य स्तरीय नॉडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।


राज्य स्तरीय नॉडल अधिकारी द्वारा उक्त प्रावधान के संबंध में समस्त प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष में नियुक्त नॉडल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर पालना सुनिश्चित करवाये जाने की कार्यवाही करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(रोली सिंह)  
प्रमुख शासन सचिव


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. व. शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. समस्त विभागाध्यक्ष(संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर सहित)।
5. श्री जय सिंह, शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग।

  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. रजिस्ट्रार, राज. सिविल सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

  
शासन उप सचिव